TWENTY RUPEES

Recned Ram Ulam

RL-A-8953
24-2-09

<u>न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,</u>
<u>राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियार</u>

R 221- I/09

श्री सोहराब अंकलेसरिया पिता श्री टी.अंकलेसरिया
निवासी डॉ.राजेन्द्रप्रसाद मार्ग, रतलाम द्वारा मु.आम
श्री गुस्ताद अंकलेसरिया पिता श्री टी.एस.अंकलेसरिया
निवासी राजेन्द्रप्रवाद मार्ग, रतलाम —————— प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प रतलाम —————— प्रतिप्रार्थी

<u>–निगरानी अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम–</u>
<u>–निगरानी बनाराजगी आदेश दिनांक 21.11.2008 जो प्रकरण कमांक 7/सी–132/</u>
<u>–2007–2008 में न्यायालय श्रीमान् जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प महोदय, रतलाम</u>
<u>–द्वारा पारित किया हैं, से असंतुष्ट होकर–</u>

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी यह निगरानी आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प महोदय रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 7/सी–132/2007–2008 में दिनांक 21.11.2008 को जो आदेश स्टॉम्प रिफण्ड़ नही करने के संबंध में पारित किया हैं, उससे असंतुष्ट होकर अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हैं –

प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने लीजडीड हेतु रूप्ये 23,220/– के स्टॉम्प कय किये थे, जिस पर लीजडीड का प्रारूप भी टाईप करवा लिया था परन्तु निष्पादनकर्ता द्वारा लीजडीड का संपादन करने से इन्कार कर देने के कारण लीजडीड संपादित नही करायी जा सकी, और उक्त स्टॉम्प रिफण्ड़ करने हेतु प्रार्थी द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना कोई सूचना दिये ही प्रार्थी का आवेदन पत्र अदम पैरवी में निरस्त कर दिया, इससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी आवेदन पत्र अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैं–

1. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकित 21.01.2008 त्रुटिपूर्ण होकर विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

2

101 89

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-221-एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 20-01-2015 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	